सक्षम श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल म0प्र0

पुनरीक्षण याचिका कमांक...../15

1. श्री राधेश्याम आत्मज श्री मंशाराम कीर,
   आयु लगभग 44 वर्ष,
2. श्री फूलचंद कीर आत्मज श्री मंशाराम कीर,
   आयु लगभग 47 वर्ष,
   निवासीगीण-ग्राम मकोड़िया (नीनोर),
   तहसील-रेहटी, जिला-सीहोर म.प्र. ...पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

1. श्री मोहन सिंह आत्मज श्री शोभाराम राठौर,
   आयु- लगभग 34, निवासी-मकोड़िया (नीनोर),
   तहसील-रेहटी, जिला-सीहोर, म.प्र.
2. श्री मिश्रीलाल आत्मज श्री मंशाराम कीर,
   आयु- लगभग 34, निवासी-मकोड़िया (नीनोर),
   तहसील-रेहटी, जिला-सीहोर, म.प्र. ...उत्तरदातागण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता गण की ओर से निवेदन है कि:-

पुनरीक्षणकर्ता गण माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील-रेहटी, जिला-सीहोर के रा. प्र. कं. 2/अ-70-13-14 पक्षकारगण मोहनसिंह राठोर विरूद्ध राधेश्याम व अन्य में दिनांक 22/08/2015 को पारित आदेश से दुखी व क्षुब्ध होकर माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष ठोष तथ्यों एवं आधारो पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहे है, जिसमें उन्हें सफल होने की पूर्ण आशा है।

पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य

- उत्तरदाता कमांक 01 मोहन सिंह राठौर ने पुनरीक्षणकर्ता गण व पुनरीक्षण में उत्तरदाता कमांक 02 के खिलाफ माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील रेहटी, जिला-सीहोर म.प्र. के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 250 म. प्र. भू. रा. संहिता का असत्य आधारों पर तथा-कथित सीमाकंन प्रकरण कमांक 5/अ-13/20013-14 को आधार मानते हुए प्रस्तुत किया है। जिसमें माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय ने एकांकी दृष्किोण अपनाते हुए उत्तरदाता कमांक 01 में पक्ष में वादप्रश्न निर्मित किये है। उक्त वादप्रश्न पर पुनरीक्षणकर्ता गण ने आपत्ति लगाई और माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दिनांक 10/08/15 को प्रस्तुत किया, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता गण ने प्रार्थना चाही कि एक नग प्रश्न "क्या किया गया सीमांकन वैद्य है और आवेदक किये गये सीमांकन के आधार पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है" जिसे माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22/08/15 को गुण-दोषों पर विचार किये बगैर ही निरस्त कर दिया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक R-3420-दो-2015 **जिला सीहोर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश राधेश्याम / मोहन सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–01–2016	यह निगरानी तहसीलदार रेंहटी जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 2/अ–70/13–14 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। आवेदक अधिवक्ता श्री बी.एल. यादव के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचारोपरांत अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 22.08.15 का परिशीलन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक अधिवक्ता द्वारा वाद प्रश्न " क्या किया गया सीमांकन बैध है एवं आवेदक किए गये सीमांकन के आधार पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है"। निर्मित किए जाने का निवेदन किया गया था। तहसीलदार द्वारा अनावेदक आधिवक्ता के निवेदन को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि प्रकरण में वादप्रश्न की मंशा निहित है प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश से किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से वर्तमान में प्रभावित हुए होने की संभावना परिलक्षित नहीं हो रही है। अभी प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है जहां उभय पक्ष को अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त आधार उपलब्ध है।उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना–अपना पक्ष रखें। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राहय की जाती है । पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि. हो। **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	